न्यायालय : सहायक कलैक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 163/2017

अनवान :–

1. पीथाराम उर्फ मोहरसिंह पुत्र भल्लाराम जाति मेघवाल निवासी घेऊ हाल निवासी ढाणी कुलडियान तहसील तारानगर।

– वादी

बनाम

1. माडुराम वल्द नानक जाति मेघवाल निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादी
निर्णय **दिनांक :**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा घेऊ के वर्तमान खाता सं0 278 के खसरा सं0 420/1 की 1.935 है0 खसरा सं0 425/1 की 1.593 है0 खसरा सं0 437 की 4.818 है0 कुल 8.346 है0 बारानी में वादी के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादभूमि वादी को बच्चपन में ही विरासतन में प्राप्त हो गई थी तथा विरासतन में वादी के नाम वादभूमि दर्ज करते समय पीथाराम की बजाय मोहरसिंह दर्ज कर दिया गया था। जबकि वादी को गांव में पीथाराम व मोहरसिंह दोनों नामों से ही जाना जाता है, जिससे सही नाम पीथाराम ही है। वादी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र आदि दस्तावेजात में सही नाम पीथाराम दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में पीथाराम की बजाय मोहरसिंह दर्ज चला आ रहा है जिससे वादी अपने खातेदारी का सही ढंग से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया व प्रतिवादी सं0 2 ने जबाब दावा पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा घेऊ के खाता सं0 278 में दर्ज भूमि में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जो दस्तावेज यथा् चित्रप्रति परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड पेश किये है, उनमें वादी का नाम

पीथाराम पुत्र भलाराम/भल्लाराम अंकित है एवं वादी ने जो चित्रप्रति जमाबन्दी ढाणी कुलड़िया तहसील तारानगर की खाता सं0 31/27 पेश की है उसमें वादी का नाम पीथाराम पुत्र भलाराम जाति मेघवाल अंकित है। इस प्रकार रेवेन्यु रिकार्ड से भी प्रार्थी के सही नाम पीथाराम की पुष्टी होती है तथा सरपंच ग्राम पंचायत घेऊ द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उसमें पीथाराम व मोहरसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होना व सही नाम पीथाराम होना जाहिर किया है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मोजा घेऊ के वर्तमान खाता सं0 278 के खसरा सं0 420/1 की 1.935 है0 खसरा सं0 425/1 की 1.593 है0 खसरा सं0 437 की 4.818 है0 कुल 8.346 है0 बारानी में वादी के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में वादी का नाम मोहरसिंह वल्द भला की बजाय पीथाराम वल्द भलाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6-10-17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ऋषभ जैन)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलैक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 163/2017

अनवान :–

1. पीथाराम उर्फ मोहरसिंह पुत्र भल्लाराम जाति मेघवाल निवासी घेऊ हाल निवासी ढाणी कुलडियान तहसील तारानगर।

– वादी

बनाम

1. माडुराम वल्द नानक जाति मेघवाल निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ऋषभ जैन सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मोजा घेऊ के वर्तमान खाता सं0 278 के खसरा सं0 420/1 की 1.935 है0 खसरा सं0 425/1 की 1.593 है0 खसरा सं0 437 की 4.818 है0 कुल 8.346 है0 बारानी में वादी के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में वादी का नाम मोहरसिंह वल्द भला की बजाय पीथाराम वल्द भलाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6-10-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(ऋषभ जैन)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़